03/02/2013

प्रेस विज्ञप्ति

जरावा आरक्षित क्षेत्र से गुजरने वाले अण्डमान ट्रंक रोड का प्रयोग पर्यटक द्वारा नहीं कर सकते

माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका संख्या 12125/2010 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, अण्डमान ट्रंक रोड का प्रयोग केवल रिहायशी गाँवों में रहने वाले नागरिक, सरकारी कर्मचारी तथा उत्तर तथा मध्य अण्डमान के लिए माल ढ़ोने तथा सेवा प्रदान करने वाले ही कर सकते हैं। साथ ही यह आदेश पारित किया कि किसी भी पर्यटक को जरावा आरक्षित क्षेत्र से गुजरने वाले सड़क का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निवासी अपना पहचान पत्र दिखा कर, मध्योत्तर अण्डमान जाने के लिए निजी वाहन, व्यावसायिक वाहन, राज्य परिवहन सेवा तथा निजी बस में इस सड़क का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण परिवहन निदेशक द्वारा जारी दिनांक 31 जनवरी, 2013 को दि डेलि टेलिग्राम्स में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा चुका है।

जिरकाटांग तथा मिडिल स्ट्रेट कदमतला स्थित पुलिस चौकी सख्ती से कॉन्वॉय (Convoy) सिस्टम का पालन कर रहे हैं। इस क्षेत्र को पार करने वाले यात्रियों तथा वाहनों का विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाता है तथा स्थानीय निवासियों को मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस द्वारा वाहनों की आवाजाही कों मॉनिटर करने के लिए वीडियो कैमरा स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त दो स्थानों, जोड़ा कलान (पुलिस थाना पहाड़गाँव) तथा धनीखाड़ी जंक्शन (पुलिस थाना हम्फ्रीगंज) में पुलिस टुकड़ी तैनात किया गया है जो वाहनों में पर्यटकों की उपस्थिति की जाँच करेगी तथा वास्तविक यात्रियों को ही आगे यात्रा करने कि अनुमति प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त आदेशो का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पु.म.नि./2013/700

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

* * *

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 03 फरवरी, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे संचार माध्यम से आम जनता की सूचना हेतु प्रसारित/प्रकाशित करें

1. समाचार संपादक, आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर
2. निदेशक दूरदर्शन, पोर्ट ब्लेयर
3. निदेशक (सू.प्र.प.), अ. तथा नि. द्वीपसमूह
4. प्रधान संपादक, द्वीप समाचार, पोर्ट ब्लेयर
5. संपादक, अण्मान एक्सप्रेस (हिन्दी) पोंगी चौंग, पोर्ट ब्लेयर
6. संपादक, सागर, कार्मल स्कूल फानिक्स बे, पोर्ट ब्लेयर
7. संपादक, इंफो ऑफ इंडिया, गुरूद्वारा लाइन, पोर्ट ब्लेयर
8. संपादक, द्वीप प्रहरी, कैथोलिक चर्च, प्रेम नगर, पोर्ट ब्लेयर
9. संपादक, पीपल्स व्यू, पानीपत रोड हैडो, पोर्ट ब्लेयर
10. संपादक, साहिल की ओर, पोर्ट ब्लेयर